

अपील क्रमांक 185/बो.प्र./नि.स./2023  
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)  
जल संसाधन विभाग,  
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,  
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /07/2023

अपील प्रकरण क्रमांक 185/बो.प्र./नि.स./2022

**अपीलार्थी**

सुनीता गुप्ता,  
विवेकानन्द कॉलोनी जशपुर नगर,  
जिला जशपुर (छ.ग.),  
मौ.नं. 7000744306

**उत्तरवादी**

श्री ए.के. साय,  
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख  
अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

आदेश दिनांक 13.07.2023

1 अपीलार्थी सुनीता गुप्ता अनुपस्थित।

2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।


3. प्रकरण संक्षेप:

- (i) आवेदिका/अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2023 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 3 बिन्दुओं की जानकारी की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका इस कार्यालय का आवक क्रं. 492, दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त हुआ
- (ii) जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रं. 5369, दिनांक 14.06.2023 द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि बिन्दु क्र.-1 एवं बिन्दु क्र.-2 की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(I) ई एवं 8(I) जे के तहत निजी जानकारी की श्रेणी में आने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती है। बिन्दु क्र.-3 की चाही गई जानकारी कुल 10 पृष्ठों की है। जिसका जानकारी शुल्क (10X2 = 20/- बीस रु. मात्र) जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
- (iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा एक माह की निर्धारित समयावधि के उपरांत भी न तो किसी तरह का कोई जानकारी उपलब्ध कराया है और न ही जानकारी नहीं दिये जाने से संबंधित कोई उचित कारण बताया गया। जिससे आवेदिका द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 23.06.2023 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 28.06.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 13.07.2023 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया।

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 13.07.2022 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदिका/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु नस्ती स्थापना शाखा में दिनांक 16.05.2023 को प्रस्तुत की गई। स्थापना शाखा से नस्ती दिनांक 12.06.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि प्राप्त टीप अनुसार बिन्दु क्र.-1 एवं बिन्दु क्र.-2 की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(I) ई एवं 8(I) जे के तहत निजी जानकारी की श्रेणी में आने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती है एवं

बिन्दु क्र.-3 की चाही गई जानकारी कुल 10 पृष्ठों की है। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5369, दिनांक 14.06.2023 द्वारा जानकारी शुल्क (10X2 = 20/- बीस रु. मात्र ) जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदिका /अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2023 प्रदत्त सूचना शुल्क रु. 20.00 जमा किया गया। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6179, दिनांक 05.07.2023 द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी को कुल 10 पृष्ठों की जानकारी सत्यापित कर प्रदाय किया गया।

5. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियम अवधि से पूर्व आवेदिका/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।
- (ii) आवेदिका/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार वांछित जानकारी कुल 10 पृष्ठों की, जिसका शुल्क 20/- जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 5369, दिनांक 14.06.2023 को पंजीकृत डाक से अपीलार्थी को सूचित किया गया।
- (iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने जानकारी नहीं देने से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.06.2023 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की जो दिनांक 28.06.2023 को प्राप्त हुई। अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 13.07.2023 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदिका/अपीलार्थी अनुपस्थित रही।
6. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी को संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु समय पूर्व पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई। जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।
- इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

  
(सी.पी. जैन)  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)


पृ.क्र./185/बो.प्र./नि.स./2023/ 6376

रायपुर, दिनांक 13/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सुनीता गुप्ता, विवेकानन्द कॉलोनी जशपुर नगर, जिला जशपुर (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
(सी.पी. जैन)  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)